

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम सामग्री की उपलब्धता तथा उसका विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से संबंध का अध्ययन

डॉ० अरविंद कुमार
असि० प्रोफेसर, बी०एड०
राजकीय राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर
उ०प्र० (भारत)

सारांश (Abstract)

भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बालिकाओं की शिक्षा हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं, शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां भी उनको उनका वाजिब हक्क दिलाने में कारगर सिद्ध नहीं हो पायी। विशेषतौर से गरीब, वंचित वर्ग और ड्रॉप आउट छात्राओं को। ऐसी ही बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में एक नवीन योजना प्रारम्भ की गई, जिसे कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के नाम से जाना गया। इन विद्यालयों में 75 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं हेतु तथा 25 प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवार की बालिकाओं हेतु सुरक्षित रहते हैं। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा उसका विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से सह-संबंध का अध्ययन करना है। आंकड़ों को एकत्र करने हेतु शोधकर्ता द्वारा 'केजीबीवी में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं' तथा 'केजीबीवी की बालिकाओं हेतु शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण' विषयक दो प्रश्नावलियों का निर्माण किया गया। शोध के निष्कर्ष में पाया गया कि शत-प्रतिशत बालिकाओं की पहुँच पुस्तकालय में विद्यमान पुस्तकों तक थी तथा इतने ही प्रतिशत कक्षा-कक्षों में शिक्षण-अधिगम संबंधी पेंटिस/चार्ट/पोस्टर टंगे हुए थे। 38.70 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षण हेतु पॉकर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) तैयार करने की सुविधा, 35.48 प्रतिशत विद्यालयों में इंटरैक्टिव व स्मार्ट बोर्ड तथा 32.25 प्रतिशत विद्यालयों में एलसीडी प्रोजेक्टर की उपलब्धता थी। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य अत्यंत निम्न स्तर का क्रणात्मक सहसंबंध पाया गया।

मुख्य शब्द (Key Words) – बालिका शिक्षा, वंचित वर्ग, शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा शैक्षिक उपलब्धि।

हमारा देश जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर विविधता बाहुल्य देश है। यह विविधता हमारे लोगों को कहीं न कहीं नवीन तरीके से सीखने और दुनिया को विभिन्न परिप्रेक्ष्य से समझने में मदद करती है साथ ही समूहों के अंदर विद्यमान नकारात्मक रूढिवादिता और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को दूर करने के अवसर भी प्रदान करती है। कई मायने में यह विविधता देश के सभी वर्ग के लोगों को एक दूसरे को जानने उनकी परंपरा एवं संस्कृति को समझने के अवसर प्रदान करती है तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने के तौर-तरीके भी सिखाती है। लेकिन जब यह विविधता असमानता और भेदभाव का पर्याय बन जाती है तो समाज के लोग देश के नागरिकों में सामाजिक, जेंडर, शैक्षिक, आर्थिक या फिर किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी आदि के आधार पर भेदभाव तथा अन्याय करने लगते हैं तो समतामूलक समाज की स्थापना की आवश्यकता महसूस होती है। समतामूलक समाज देश के सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा तक समान अवसर; विशेषतौर से वंचित समूहों की उन संसाधनों और अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करता है जिनकी कि उन्हें सर्वाधिक आवश्यकता होती है।

समतामूलक समाज की रचना सभी वर्गों की शिक्षा तक पहुँच से ही संभव है। शिक्षा तक पहुँच भी मात्र चार अक्षर सीखने वाली ही नहीं, बल्कि गुणात्मक, समावेशी तथा व्यक्तित्व का विकास करने वाली होनी चाहिए, जो कि पुरुष, महिला, दिव्यांग, शोषित, वंचित वर्ग के सभी लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करे। समाज में शिक्षा के अवसर यदि किसी को प्राप्त होने चाहिए तो वह सबसे पहले बालिकाओं को मिलने चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी तथा समाज को भी उत्पादक बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। कहा भी गया है कि महिलाओं को प्रदान की गई शिक्षा मात्र इनकी ही शिक्षा नहीं बल्कि पूरे परिवार और राष्ट्र की शिक्षा होती है।

जहाँ कि एक तरफ यह माना जाता है कि महिलाओं को यदि समाज के प्रत्येक स्तर पर अपना प्रदर्शन दिखाने के समान अवसर मिलें तो भावी पीढ़ियों को उत्तम शिक्षा और दिशा देने का कार्य इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, वहीं दूसरी तरफ बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभी भी समाज में आशानुरूप जागरूकता नहीं है। उनका स्वास्थ्य, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, निःसहायता, जन्म होना जैसे अनेकों पहलू उनके पालन-पोषण एवं विकास में बाधक हैं। घर से बाहर निकलें या फिर स्कूल जाएं तो शोहदों द्वारा छेड़छाड़, बलात्कार, किडनैपिंग, दुष्कर्म, अश्लीलता, भद्रे कर्मेंट जैसी घटनाएं आए दिन उनके सामने मुँह बनाए खड़ी रहती हैं।

भारत में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियांवयन मन्त्रालय (कश्यप, 2016) की रिपोर्ट के अनुसार 63.5 प्रतिशत बालिकाएं बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ देती हैं। आर्येन्दु (2016) ने अपने लेख में एक शोध का वर्णन करते हुए लिखा है कि 34 प्रतिशत परिवार कपड़ों, पुस्तकों और अन्य चीजों की व्यवस्था न दे पाने के कारण बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते हैं, 13 फीसदी बालिकाओं ने बताया कि माता-पिता के द्वारा घर या बाहर का कार्य कराए जाने के कारण वह विद्यालय नहीं जाती हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सिंह, 2021) के अनुसार वर्ष 2018 में '15 से 18 वर्ष की उम्र वाली लगभग 40 प्रतिशत बालिकाएं स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी थीं और 65 प्रतिशत बालिकाएं केवल घर का कामकाज करने में जुटी रहती थीं। गरीब तबके वाली बालिकाओं का छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया गया था।' स्पष्टतः कहा जा सकता है कि समाज द्वारा रोपित तरह-तरह की पाबंदियां, बाधाएं तथा आरोप-प्रत्यारोप बालिकाओं की शिक्षा की राह में बाधा बनी खड़ी हैं।

बालिकाओं की शिक्षा हेतु भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम भी उनको उनका वाजिब हक्क दिलाने में कारगर सिद्ध नहीं हो पाए; विशेषतौर से ग्रामीण, गरीब, वंचित वर्ग और ड्रॉप आउट छात्राओं को। ऐसी ही बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में एक नवीन योजना प्रारम्भ की गई, जिसे कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के नाम से जाना गया।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व (Need & Significance of the Study)

भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के आदर्शवाक्य 'सब पढ़े, सब बढ़े' के तहत अनेकों महत्वपूर्ण शैक्षिक योजनाएँ प्रारंभ की थीं। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है- 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना'। इस योजना के अंतर्गत खोले गए विद्यालय बालिकाओं को कक्षा ३ से आठवीं तक (अब बारहवीं) की शिक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि इन विद्यालयों की शुरूआत दसवीं पंचवर्षीय (2002-07) में हो गई थी, लेकिन इनको वास्तविक विस्तार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में मिला। इस योजना की प्राथमिकता का विषय समावेशी विकास था, इसलिए इस योजना में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग बाहुल्य क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकांश केजीबीवी इसी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत एवं संचालित किए गए। वर्तमान में इन विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य के पास बराबर-बराबर की है। इन विद्यालयों में 75 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं हेतु सुरक्षित रहते हैं। इनके साथ 25 प्रतिशत स्थानों पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवार की बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जाता है।

यह विद्यालय ड्रॉप आउट तथा वंचित वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान कर बालिकाओं का भविष्य उज्ज्वल करने हेतु प्रयासरत हैं। भारत तथा राज्य सरकारें भी इन विद्यालयों के संचालन में भारी-भरकम धनराशि व्यय कर रही है। अतः इस दृष्टिकोण से यह जानना अवश्यभावी हो जाता है कि क्या यह विद्यालय अपने उद्देशानुरूप बालिकाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर पा रहे हैं? क्या विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो रही हैं? बालिकाओं का शैक्षिक स्तर कैसा है? जैसे प्रश्नों का समाधान ढूँढ़ने के लिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि इन विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं (शिक्षण-अधिगम सामग्री) तथा उनमें अध्ययनरत बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया जाए।

इस तथ्य की जानकारी निमित्त उपलब्ध संबंधित साहित्य का अवलोकन किया गया, यथा- यादव (2013), मिश्रा (2015), गोगोई एवं बरुआ (2015), बरनवाल एवं यादव (2017), देवी एवं त्रिपाठी (2019), कुमारी एवं नागमणि (2022) तथा कुमार एवं कुमार (2024)। इन शोधकर्ताओं द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध विशेषकर भौतिक संसाधन, मूलभूत सुविधाओं तथा समायोजन संबंधी अध्ययन किए गए हैं। इसके साथ ही डावराह (2019), गोगोई (2014), मिश्रा (2015), तथा यादव (2017) द्वारा अपने अध्ययन में केजीबीवी में मात्र कंप्यूटर पुस्तकें तथा पाठ्य सामग्री की उपलब्धता संबंधी अध्ययन पर प्रकाश डाला गया है। किंतु इनमें से कोई भी ऐसा अध्ययन प्राप्त नहीं हो सका जिसमें कि विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा उसका विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के साथ संबंध का अध्ययन केजीबीवी हेतु निर्धारित अवस्थापन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर किया गया हो, इसी कमी की पूर्ति हेतु प्रस्तुत अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन शासन, शिक्षक, वंचित वर्ग, बालिकाओं, अभिभावकों, लेखकों, समाज सेवी संगठनों तथा नीति निर्धारकों हेतु महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री का अध्ययन करना।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से सह-संबंध का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना (Hypothesis of the Study)

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से कोई सार्थक सह-संबंध नहीं है।

शोध का सीमांकन (Delimitations of the Study)

प्रस्तुत शोध में केवल बरेली मण्डल (उत्तर प्रदेश) के चार जनपदों, यथा- बरेली, पीलीभीत, बदायूं तथा शाहजहांपुर के सत्र 2022-23 में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध विधि (Research Methodology)

प्रत्येक अध्ययन की एक विशेष प्रकृति होती है जिसके अनुसार ही शोध विधि का निर्धारण किया जाता है। अतएव, प्रस्तुत अध्ययन में शोध की 'वर्णनात्मक विधि (Descriptive Method)' को प्रयोग में लाया गया है। इस अध्ययन में जनसंख्या के अंतर्गत बरेली मण्डल (बरेली, पीलीभीत, बदायूं तथा शाहजहांपुर जनपद) के सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं सत्र 2022-23 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी सम्मिलित हैं। मण्डल के चारों जनपदों से 'स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्शन विधि (Stratified

Random Sampling Method) के द्वारा कुल 31 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय तथा उनमें अध्ययनरत 744 विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है।

शोध उपकरण (Research Tools)

प्रस्तुत अध्ययन के निमित्त शोधकर्ता द्वारा 'केजीबीवी में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं' (कुल 15 पद) तथा 'केजीबीवी की बालिकाओं हेतु शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण' (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान विषय के कुल 50 पद) विषयक दो प्रश्नावली का निर्माण किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधि (Used Statistical Techniques)

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्तों से निष्कर्ष निकालने हेतु प्रतिशत तथा सहसंबंध सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या (Analysis & Interpretation of Data)


कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का वर्णन विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री की सुविधा के परिप्रेक्ष्य में, तत्पश्चात उसका विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के साथ संबंध का अध्ययन किया गया है।

तालिका- 1

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) संबंधी सुविधाएं

क्र० सं०	शिक्षण-अधिगम सामग्री संबंधी सुविधाओं के नाम	31 विद्यालयों में से सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या	सुविधायुक्त विद्यालयों का प्रतिशत
1.	पुस्तकालय की पुस्तकें छात्राओं की पहुँच में हैं।	31	100
2.	शिक्षक/शिक्षिकाओं को अपशिष्ट पदार्थ (Waste Material) से शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) बनाने की सुविधा उपलब्ध रहती है।	24	77.41
3.	सभी शिक्षक/शिक्षिकाएं शिक्षण हेतु लेसन प्लान तैयार करती हैं।	29	93.54
4.	शिक्षक/शिक्षिकाओं को शिक्षण हेतु पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन (PPT) तैयार करने की सुविधा है।	12	38.70
5.	शिक्षण के लिए वास्तविक वस्तुओं (Real Object) की उपलब्धता रहती है।	27	87.09
6.	विद्यालय में स्मार्ट/इंटरैक्टिव बोर्ड की उपलब्धता है।	11	35.48
7.	छात्राओं के शिक्षण-अधिगम/प्रशिक्षण हेतु कंप्यूटर की व्यवस्था है।	27	87.09
8.	छात्राओं को शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनाने हेतु रेडियो है।	29	93.54
9.	छात्राओं को शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाने हेतु टेलीवीजन है।	28	90.32
10.	कक्षा शिक्षण हेतु विज्ञान व गणित किट उपलब्ध है।	28	90.32
11.	विद्यालय में एलसीडी प्रोजेक्टर (LCD Projector) की व्यवस्था है।	10	32.25

12.	शिक्षण-अधिगम हेतु मॉडल (Model) उपलब्ध हैं।	24	77.41
13.	प्रत्येक कक्षा-कक्ष में शिक्षण-अधिगम संबंधी चार्ट/पोस्टर, पेंटिंग्स दीवारों पर टैंगे/बने रहते हैं।	31	100
14.	विद्यालय में ग्लोब उपलब्ध हैं।	29	93.54
15.	शिक्षक/शिक्षिकाओं को शिक्षण-अधिगम सहायक सामग्री (TLM :Teaching-Learning Material)निर्माण/क्रय करने हेतु विभाग से धनराशि प्राप्त होती है।	23	74.19



चित्र- 1 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री

तालिका एवं चित्र- 1 पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत शत-प्रतिशत बालिकाओं की पहुँच पुस्तकालय में विद्यमान पुस्तकों तक थी। इन विद्यालयों के शत-प्रतिशत कक्षा-कक्षों में शिक्षण-अधिगम संबंधी पेंटिंग्स/चार्ट/पोस्टर टैंगे पाए गए 29 (93.54 प्रतिशत) विद्यालयों में ग्लोब, शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण हेतु रेडियो उपलब्ध थे तथा शिक्षिकाएँ शिक्षण हेतु पाठ्य योजना (लेसन प्लान) बनाती थीं। 28 (90.32 प्रतिशत) विद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने हेतु टेलीवीजन तथा शिक्षण हेतु गणित व विज्ञान किट की व्यवस्था थी। 27 (87.09 प्रतिशत) विद्यालयों ने यह स्वीकार किया कि उनके पास शिक्षण हेतु वास्तविक सामग्री एवं कंप्यूटर की व्यवस्था है। 24 (77.41 प्रतिशत) विद्यालयों में अपशिष्ट पदार्थ से शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) बनाने तथा शिक्षण हेतु मॉडल की सुविधा उपलब्ध थी। 23 (74.19 प्रतिशत) विद्यालय के शिक्षकों ने यह माना कि उन्हें शिक्षण-अधिगम सहायक सामग्री के निर्माण/क्रय करने हेतु विभाग से धनराशि प्राप्त होती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सबसे कम 12 (38.70 प्रतिशत) शिक्षण हेतु पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) तैयार करने की सुविधा, 11(35.48 प्रतिशत) इंटरैक्टिव व स्मार्ट बोर्ड तथा 10 (32.25 प्रतिशत) एलसीडी प्रोजेक्टर की उपलब्धता पाई गई।

तालिका 4.1.2 के परिणाम की तुलना ब्रह्मा (2012), लक्ष्मी (2015) तथा राजू और मूर्ति (2022) के शोध परिणाम से करने पर ज्ञात होता है कि इन्होंने अधिकांश विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षण-अधिगम सामग्री उपलब्ध पाई थी। डावराह (2019) ने विद्यालयों में कंप्यूटर सुविधाओं के प्रति संतुष्टि व्यक्त की। गोगोई (2014), मिश्रा (2015) तथा यादव (2017) ने भी अपने शोध परिणाम में पाठ्यक्रम की पुस्तकें तथा पाठ्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाई थी अर्थात् बालिकाओं की पुस्तकालय तक पहुँच थी। यह परिणाम प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों से मेल खाते हैं।

नागराजू एवं गुंतूरमस्तान (2017), हनुमेया (2018) तथा सामंतरॉय एवं रथ (2019) के शोध परिणाम में विद्यालय में श्रव्य-दृश्य उपकरण, कंप्यूटर सुविधाएं तथा पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह परिणाम प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों से मेल नहीं खाते हैं।

सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण-अधिगम सामग्री जैसे- कंप्यूटर, पीपीटी तैयार करने हेतु साधन, स्मार्ट/इंटरेक्टिव बोर्ड एवं एलसीडी प्रोजेक्टर की उपलब्धता कम होने का कारण सम्भवतः विद्युत की कमी व अनियमितता, शिक्षण-अधिगम सामग्री के प्रयोग के प्रति शिक्षकों की उदासीनता, मानकानुसार शिक्षकों का अभाव तथा इन साधनों के क्रय हेतु अलग से मद की व्यवस्था न होना हो सकता है। हालांकि सरकार विद्यालयों में स्मार्ट तथा आधुनिक साधनों से युक्त संसाधन कक्षा-कक्षों के प्रयोग द्वारा शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली एवं अंतःक्रियात्मक बनाने पर बल दे रही है, किंतु फिर कुछ शिक्षक अपनी प्रतिभा का शत-प्रतिशत प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं।

तालिका-2

केजीबीबी में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध गुणांक

चर (Variable)	शैक्षिक उपलब्धि (Educational Achievement)
शिक्षण-अधिगम सामग्री (Teaching-Learning Material)	-0.128

*0.05 स्तर पर सार्थक

तालिका- 2 को देखने से स्पष्ट होता है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध गुणांक -0.128 पाया गया। यह मान विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य अत्यंत निम्न स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध (Very Low Negative Correlation) को प्रदर्शित करता है। यह सहसंबंध गुणांक 29 df पर, 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं पाया गया। अतः इस संदर्भ में शून्य परिकल्पना- “कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।” अस्वीकार नहीं की गई। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध नगण्य है।

विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य नकारात्मक सहसंबंध पाए जाने का संभावित कारण यह हो सकता है कि विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम सामग्री की उपलब्धता तो है लेकिन उसका शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में समुचित प्रयोग नहीं किया जाता है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष (Major Findings of the Research)

- शत-प्रतिशत बालिकाओं की पहुँच पुस्तकालय में विद्यमान पुस्तकों तक थी तथा इतने ही प्रतिशत कक्षा-कक्षों में शिक्षण-अधिगम संबंधी पेंटिंग/चार्ट/पोस्टर टंगे पाए गए।
- 93.54 प्रतिशत विद्यालयों में ग्लोब, शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण हेतु रेडियो उपलब्ध थे तथा शिक्षिकाएँ शिक्षण हेतु पाठ्य योजना (लेसन प्लान) बनाती थीं।

- 90.32 प्रतिशत विद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने हेतु टेलीवीजन तथा शिक्षण हेतु गणित व विज्ञान किट की व्यवस्था थी।
- 87.09 प्रतिशत विद्यालयों ने यह स्वीकार किया कि उनके पास शिक्षण हेतु वास्तविक सामग्री एवं कंप्यूटर की व्यवस्था है।
- 77.41 प्रतिशत विद्यालयों में अपशिष्ट पदार्थ से शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) बनाने तथा शिक्षण हेतु मॉडल की सुविधा उपलब्ध थी।
- 74.19 प्रतिशत विद्यालय के शिक्षकों ने यह माना कि उन्हें शिक्षण-अधिगम सामग्री के निर्माण/क्रय करने हेतु विभाग से धनराशि प्राप्त होती है।
- 38.70 प्रतिशत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शिक्षण हेतु पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) तैयार करने की सुविधा उपलब्ध थी।
- 35.48 प्रतिशत विद्यालयों में इंटरैक्टिव व स्मार्ट बोर्ड तथा 32.25 प्रतिशत विद्यालयों में एलसीडी प्रोजेक्टर की उपलब्धता थी।
- विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य अत्यंत निम्न स्तरीय क्रणात्मक सहसंबंध (Very Low Negative Correlation) पाया गया।

शैक्षिक निहितार्थ (Educational Implications)

सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण-अधिगम सामग्री जैसे- कंप्यूटर, पीपीटी तैयार करने हेतु साधन, स्मार्ट/इंटरैक्टिव बोर्ड एवं एलसीडी प्रोजेक्टर की उपलब्धता कम पाई गई। आज का समय मल्टीमीडिया के साधनों से सीखने-सिखाने का है। इसलिए विद्यालयों में कंप्यूटर, स्मार्ट/ इंटरैक्टिव बोर्ड, एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी टीबी, ग्लोब, मॉडल तथा रेडियो की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस हेतु सरकार द्वारा अलग से मद निर्धारित करके प्रत्येक विद्यालयवार धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। शिक्षकगण वास्तविक वस्तुओं तथा अन्य सहायक सामग्री की सहायता से शिक्षण करें तथा अपशिष्ट/अप्रयोज्य पदार्थ से शिक्षण-अधिगम सामग्री का निर्माण करें, ताकि शिक्षण को सरल, सुगम और बोधगम्य बनाया जा सके। यह अनेकों बार सिद्ध हो चुका है कि विद्यार्थी मूर्त और मनोरंजनात्मक वस्तुओं के साथ अन्तःक्रिया करने पर ज्यादा सीखते हैं। शिक्षकगण आवश्यकतानुसार कक्षा में शिक्षण-अधिगम सामग्री का समुचित प्रयोग करें तथा इस हेतु विद्यालय की वार्डन समग्र निगरानी तंत्र विकसित कर सकती हैं। विभाग द्वारा विद्यालय के सभी शिक्षकों हेतु आधुनिक शिक्षण-अधिगम सामग्री की व्यवस्था की जाए।

संदर्भ (References)

1. आर्येदु, ए० (जनवरी, 2016). शिक्षित बालिका से ही होगा सशक्त देश. कुरुक्षेत्र, 62(3), 15-18
2. बग्नवाल, ए०० एवं यादव, डी० (2017), मुस्लिम बालिकाओं को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में भागीदारी पर अध्ययन, भारतीय आधुनिक शिक्षा, 37(4), 45-52
3. Brahma, P.C. (2012). Assessment of Functioning of KGBV in Mayurbhanj District. Research Abstracts, Odisha Primary Education Programme Authority Siksha Soudha, Bhubaneswar, Vol. XI to XIV, 48-50.
4. Devi, S. & Tripathi, V. N. (2019), Provision of Infrastructural Facilities in Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Hostels in the State of Himachal Pradesh, Think India Journal, 22(14), 4659-4666.
5. Dowarah, L.J. (2019). Kastruba Gandhi Balika Vidyalaya: A study in Tinsukia District of Upper Assam. Think India Journal, 22(10), 331-340.
6. Gogoi, S. (2014). Evaluation of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) Implemented Under Sarva Siksha Abhiyan in Assam. (Unpublished Doctoral Dissertation), Assam University, Silchar, Assam
7. Gogoi, S. & Barua, S. (2015), Evaluation of District wise Differences in Proper Implementation of Different Activities in the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV), Case Studies Journal, 4(5), 118-125
8. Hanumaiah, C. (2018). Women Teachers' Problems at Kgbv Schools in Karnataka. Review of Research, 8(3), 01-06.
9. कश्यप, जे०(जनवरी, 2016). समग्र प्रयास से ही सुधरेगी बेटियों की दशा. कुरुक्षेत्र, 62(3), 5-9
10. कुमार, ए० तथा कुमार, ए०० (2024), कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं : एक अध्ययन, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 11(8), d666-692
11. Kumari, D.N. & Nagamani, A. (2022), "A Study on the Perceptions of Women Teachers Towards Quality Improvement in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas," International Journal of Creative Research Thoughts, 10(6), 845-852
12. Lakshmi, B.V. (2015). Functioning of the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Kgbv Schools In Visakhapatnam district- A study. (Unpublished Doctoral Dissertation), Andhra Pradesh University, Visakhapatnam, <http://hdl.handle.net/10603/465901>
13. Mishra, L. (2015).Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) is a Model for Enrollment of Disadvantaged Girls. The Signage, 3(1), 15
14. Mishra, P. (2015). Elementary Education through KGBVs—A Case Study. The Primary Teacher, XL(4), 52-62.
15. Nagaraju, M.T.V. & Guntur mastan, S. (2017). Opinion of Special Officers on Facilities and Resources in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas. International Journal of Arts, Humanities and Management Studies, 3(10), 11-30.
16. Raju, T.S. & Murthy, R.S. (2022). A Study on Functioning of The Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) Schools in East Godavari District. International Journal for Research Trends and Innovation, 7(8), 1218-1221
17. Samantaroy, M. & Rath, A. (2019). Status Analysis of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) in Ganjam District. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 3(3),1357-1362, [DOI.org/10.31142/ijtsrd23358](https://doi.org/10.31142/ijtsrd23358)
18. सिंह, डी० एस० (सितम्बर, 2021). बालिका संरक्षण. योजना 65(9), 44-46
19. Yadav, M. (2013). A Study on Implementation of KGBV Scheme in the Muslim Concentrated Districts of Four States in India, Report 2013, Dept. of Women's Studies, NCERT, pp. 01-293